संख्या-25/2015/1312/94 स्टा0नि0-2-2015-700(01)/15

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 नवम्बर, 2015

विषय:- स्टाम्प वादों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-.1973/11-5-2010-500(13)2010 दिनांक 13 मई, 2010 एवं शासनादेश संख्या-1171/11-सं०वि०क०नि०-7-2014-700(556)/2013, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपने न्यायालय में लम्बित स्टाम्प वादों को यथासंभव 03 माह के अंतर्गत निस्तारित कर दिया जाए।

2- यद्यपि राज्य सरकार के राजस्व के दृष्टिकोण एवं जन-सामान्य की सुविधा के दृष्टिकोण से सभी स्टाम्प-वादों को उपरोक्त समयावधि में निस्तारित किया जाना वांछिनीय है, किन्तु उपरोक्त में से भी ऐसे स्टाम्प-वाद जिनमें अधिक धनराशि की स्टाम्प कमी इंगित की गयी है, उनको शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ एक ओर इन प्रकरणों में लम्बित स्टाम्प कमी की बड़ी धनराशि से राज्य सरकार के राजस्व की अधिक क्षति होती है, वहीं यदि इसमें अंतिम रूप से स्टाम्प कमी की धनराशि नहीं पायी जाती है तो पक्षकार की अनावश्यक रूप से प्रताड़ना होती है, और यदि अंतिम रूप से स्टाम्प कमी की धनराशि निर्णीत की जाती है, तो निर्णय में विलम्ब के कारण उसके विरूद्ध ब्याज की देयता बढ़ती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे यह अपेक्षित है कि अपने न्यायालय एवं अपने अधीनस्थ न्यायालयों के सभी स्टाम्प वादों का परीक्षण कर लें एवं जिनमें स्टाम्प कमी की इंगित धनराशि रू0 5 लाख से अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से उपरोक्त समयावधि के अंतर्गत निस्तारित कर दिया जाए तथा उसकी मासिक समीक्षा भी की जाए।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिरीक्षक, निबंधन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सभी जनपदों के उपरोक्त स्टाम्प वादों की मासिक समीक्षा करते हुए संबंधित पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दें कि उपरोक्त समयावधि में लम्बित स्टाम्प वादों को निस्तारित करने के लिए यथेष्ट कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन/ उपायुक्त स्टाम्प/ सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन/ सहायक आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।